



राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, छत्तीसगढ़

चतुर्थ तल, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, व्यावसायिक परिसर, (दक्षिण पूर्व कॉर्नर)
सेक्टर-27, नवा रायपुर, अटल नगर, पिन-492015 (छत्तीसगढ़)
दूरभाष-0771-2511287, 2511288, ई-मेल: office.mdnrm@gmail.com



विज्ञापन क्रमांक/NHM/HR/2020/NS-1824/63 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 22/05/2020

// संविदा भर्ती हेतु विज्ञापन //

भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग एवं मंत्रालय, नई दिल्ली से प्राप्त अर्द्धशासकीय पत्र क्र. 7(23)/2020-NHM-I दिनांक 07 अप्रैल, 2020 के तारतम्य में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, छत्तीसगढ़ अंतर्गत आर.ओ.पी. वित्तीय वर्ष 2020-21 में "एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम (IDSP)" में स्वीकृत जिला स्तरीय District Microbiologist एवं District Laboratory Technician (DPHL) के रिक्त संविदा पदों की भर्ती हेतु कार्यालयीन विज्ञापन क्र./एनएचएम/एचआर/2020/एनएस-1824 /4264 दिनांक 01.05.2020 द्वारा विज्ञापन जारी किया गया था जिसमें District Laboratory Technician (DPHL) पद की भर्ती प्रक्रिया कार्यालयीन सूचना क्र./एनएचएम/एचआर/2020/एनएस-1824/4322 दिनांक 18.05.2020 के द्वारा अपरिहार्य कारणों से निरस्त की गई थी। उक्त District Laboratory Technician (DPHL) पद पर भर्ती हेतु पुनः विज्ञापन जारी किया जा रहा है। इच्छुक आवेदक दिनांक 28.05.2020 समय 05:00 pm तक ई-मेल के माध्यम से अपने सम्पूर्ण दस्तावेजों के साथ निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, छत्तीसगढ़ के कार्यालयीन ई-मेल आई.डी cgnhmrecruitment@gmail.com पर प्रेषित कर सकते हैं। संविदा रिक्त पदों का विवरण निम्नानुसार है :-

Name of Post	Programme	Total	UR	OBC	SC	ST	Essential Qualification	Salary (Per Month)
District Laboratory Technician (DPHL)	IDSP	8	3	1	1	3	01- Higher Secondary (10+2) in Biology with BMLT. 02- (A) Higher Secondary (10+2) in Biology with DMLT. (B) Higher Secondary (10+2) in Biology with Paramedical Technician One year Certificate Course. (CMLT) [Registration in Paramedical Council of India OR Chhattisgarh Paramedical Council.] (First Preference will be given to BMLT)	14,000/-

- नोट - 1. पूर्व में जारी विज्ञापन क्र./एनएचएम/एचआर/2020/एनएस-1824/4264 दिनांक 01.05.2020 में District Laboratory Technician (DPHL) पद हेतु जिन अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन प्रेषित किया गया है वे सभी मान्य होंगे, उन्हें पुनः आवेदन प्रेषित करने की आवश्यकता नहीं होगी।
2. अभ्यर्थी निरंतर विभागीय वेबसाइट www.cghealth.nic.in का अवलोकन करते रहें। विज्ञापन से संबंधित समस्त जानकारी विभागीय वेबसाइट के माध्यम से ही दी जावेगी। अन्य किसी भी माध्यम से कोई जानकारी आवेदक को प्रेषित नहीं की जावेगी।

01.— भर्ती प्रक्रिया के संबंध में विशेष निर्देश :—

- 1.1 वर्तमान में COVID-19 महामारी के संक्रमण को ध्यान में रखते हुए उक्त विज्ञापन हेतु ई-मेल के माध्यम से आवेदन आमंत्रित किया जा रहा है।
- 1.2 अभ्यर्थियों को दिनांक ~~02/04/20~~ से ~~04/04/20~~ समय 12:00 बजे (रात्रि) तक दावा आपत्ति ई.मेल.— cgnhmrecruitment@gmail.com के माध्यम से ही लिया जावेगा।
- 1.3 नियुक्ति उपरांत कार्यालय में आवेदक की उपस्थिति के समय ही आवेदन के साथ संलग्न समस्त दस्तावेजों का परीक्षण किया जावेगा तथा परीक्षण के दौरान कोई भी जानकारी असत्य पाये जाने की दशा में आवेदक की नियुक्ति समाप्त मानी जावेगी तथा प्रतीक्षा सूची से अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी जा सकेगी।
- 1.4 भर्ती प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न किसी भी विवाद/समस्या की स्थिति में अंतिम निर्णय लिये जाने का अधिकार मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, छत्तीसगढ़ का होगा।

02.— आवेदन पत्र के संबंध में :—

- 2.1 इच्छुक आवेदक निर्धारित प्रारूप में आवेदन सम्पूर्ण दस्तावेजों के साथ कार्यालयीन ई-मेल आईडी cgnhmrecruitment@gmail.com में निर्धारित समय के पूर्व प्रेषित कर सकते हैं।
- 2.2 जिन अभ्यर्थियों द्वारा पूर्व में आवेदन प्रेषित किया गया है वे पुनः आवेदन प्रेषित न करें। उनके द्वारा पूर्व में प्रेषित आवेदन ही मान्य किया जावेगा।
- 2.3 निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात् प्राप्त एवं त्रुटि पूर्ण आवेदनों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।
- 2.4 आवेदन के साथ संलग्न दस्तावेज स्पष्ट नहीं होने की दशा में आवेदन अमान्य कर दिया जायेगा।
- 2.5 अभ्यर्थी आवेदन पत्र एवं समस्त आवश्यक दस्तावेजों का एक ही PDF File बना कर ई-मेल करेंगे।
- 2.6 विज्ञापन की तिथि में समस्त शैक्षणिक एवं अन्य अर्हताएं पूर्ण होना अनिवार्य है, अन्यथा आवेदन पत्र तत्काल अस्वीकृत किया जावेगा। इस संबंध में कोई पत्र व्यवहार मान्य नहीं होगा। किसी भी परिस्थिति में बाद की तिथि में प्रमाण पत्र स्वीकर नहीं किया जावेगा। अतः अर्हता को सिद्ध करने वाले समस्त प्रमाण पत्र आवेदन के साथ संलग्न करना सुनिश्चित करें, अन्यथा आवेदन पर विचार नहीं किया जावेगा।
- 2.7 शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र केवल छ.ग. शासन/यू.जी.सी./ए.आई.सी.टी.ई. से मान्यता प्राप्त संस्था के ही मान्य होंगे।
- 2.8 उक्त भर्ती प्रक्रिया में आवेदकों को उनके योग्यता के आधार पर पात्र-अपात्र करने का अधिकारी राज्य स्तरीय चयन समिति को होगा।

03.- चयन प्रक्रिया :-

3.1 सभी अभ्यर्थियों के शैक्षणिक योग्यता के सभी वर्षों के प्राप्त अंकों के औसत का प्रतिशत के आधार पर वर्गवार अंतिम चयन सूची तैयार की जायेगी।

उदाहरण :-

क्र	शैक्षणिक योग्यता	कोर्स अवधि	पूर्णांक	प्राप्तांक	प्रतिशत	रिमार्क
01	BMLT	03 वर्ष	100	60	66.66%	प्रथम वरीयता
			100	65		
			100	75		
योग—			300	200		
02	DMLT	02 वर्ष	100	55	60.00:	संयुक्त मेरिट सूची के आधार पर द्वितीय वरीयता
			100	65		
			200	120		
03	Paramedical Technician one Year Certificate Course	01 वर्ष	100	70	70.00:	
योग—			100	70		

3.2 आयु सीमा :- 01 जनवरी 2020 को आयु न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम 64 वर्ष होना चाहिए। आयु की गणना दिनांक 01 जनवरी 2020 से की जावेगी।

3.3 ई-मेल से प्राप्त आवेदन एवं दस्तावेजों के आधार पर ही स्कूटनी कर अभ्यर्थियों की पात्र/अपात्र सूची तैयार कर दावा आपत्ति हेतु विभागीय वेबसाइट पर अपलोड की जावेगी। दावा-आपत्ति निराकरण उपरांत अंतिम मेरिट सूची तैयार की जायेगी।

3.4 अंतिम चयन सूची -

- अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता का - 85 प्रतिशत अंक
- अनुभव 10/15 अंक संबंधित पदों के ही मान्य किये जावेंगे। (एन.एच.एम. छत्तीसगढ़ अंतर्गत कार्यरत अभ्यर्थियों को (प्रत्येक वर्ष हेतु 3 अंक) अधिकतम 15 अंक तथा अन्य अभ्यर्थियों को (प्रत्येक वर्ष हेतु 2 अंक) अधिकतम 10 अंक)
- अनुभव प्रमाणपत्र (आवेदित पद से संबंधित हो) केवल शासकीय, अर्द्धशासकीय एवं शासकीय वित्त पोषित संस्थाओं के ही मान्य होंगे। पद से संबंधित अनुभव होने पर ही अभ्यर्थी को नियमानुसार अनुभव अंक प्रदान किये जायेंगे।
- District Laboratory Technician (DPHL)-IDSP की भर्ती में Higher Secondary (10+2) in Biology with BMLT. अर्जित शैक्षणिक योग्यता वाले अभ्यर्थियों को प्रथम प्राथमिकता एवं Higher Secondary (10+2) in Biology with DMLT/One Year Pathology Technician Course. अर्जित शैक्षणिक योग्यता वाले अभ्यर्थियों को द्वितीय प्राथमिकता दिया जायेगा। उक्त आधार पर चयन हेतु मेरिट सूची तैयार किया जायेगा।
- प्रावीण्य सूची में छत्तीसगढ़ के अभ्यर्थियों के पश्चात् ही अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जावेगी। छत्तीसगढ़ का निवास प्रमाण पत्र न होने की स्थिति में आरक्षण का लाभ नहीं दिया जावेगा।

3.5 प्रतीक्षा सूची :-

- पदों की संख्या पदों की उपलब्धता के आधार पर परिवर्तनशील है। उक्त पद के लिये प्रवर्गवार प्रतीक्षा सूची भी जारी की जावेगी जिसकी वैधता जारी दिनांक से एक वर्ष तक अथवा नवीन भर्ती प्रक्रिया संपन्न होने, जो पहले हो, तक रहेगी। इस समयावधि में स्वीकृत नए पद/त्यागपत्र अथवा किसी भी कारण से रिक्त होने वाले पदों को भी इसी प्रतीक्षा सूची से भरा जा सकेगा। प्रतीक्षा सूची हेतु कुल स्वीकृत पद के 25 पदों तक 200 प्रतिशत, 25 से 50 पदों हेतु 150 प्रतिशत, 50 से अधिक पदों से 100 प्रतिशत अभ्यर्थियों को प्रतीक्षा सूची में रखा जावेगा, ताकि भविष्य में रिक्त होने वाले पद तत्काल भरे जा सकें।

3.6 अभ्यर्थियों को आवेदन के साथ निम्नांकित अभिलेखों की छायाप्रति एवं नियुक्ति उपरांत कार्यालय में उपस्थिति के समय उपरोक्त वर्णित अभिलेखों की मूल प्रति एवं एक स्वप्रमाणित प्रतिलिपि के साथ उपस्थित होना अनिवार्य होगा -

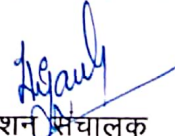
- 10 वीं की अंकसूची (जन्मतिथि के प्रमाण हेतु)।
- स्नातक एवं स्नाकोत्तर परीक्षा व समस्त वर्षों की अंकसूची।
- संबंधित डिग्री/प्रमाण पत्र।
- संबंधित कौंसिल का पंजीयन प्रमाणपत्र (संबंधित है तो)।
- सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त जाति प्रमाण पत्र (संबंधित है तो)।
- विकलांगता प्रमाण पत्र (यदि लागू हो तो)।
- मूल निवास प्रमाण पत्र।
- स्वयं पहचान पत्र (ID- Proof) , Passport size Photo (1) एवं Address Proof
- अनुभव/अनापत्ति प्रमाण पत्र।

3.7 District Laboratory Technician (DPHL)-IDSP के पद पर नियुक्त अभ्यर्थियों को तीन माह की परिवीक्षा अवधि में रखा जायेगा। तीन माह की परिवीक्षा अवधि समाप्ति उपरांत नियंत्रणकर्ता अधिकारी के द्वारा आचरण एवं कौशल पर दिये गये लिखित टीप के आधार पर संतोषजनक पाये जाने की स्थिति में संबंधित कर्मचारी की सेवा अवधि में वृद्धि किया जायेगा।

04-भर्ती के संबंध में सामान्य शर्तें एवं दिशा-निर्देश -

- मात्र आवेदन करने पर ही किसी का चयन सुनिश्चित नहीं होगा। अंतिम चयन सूची जारी करने के पूर्व मूल प्रमाण पत्रों की जांच की जाएगी, इसमें सही पाये जाने पर ही उनके चयन हेतु अग्रिम कार्यवाही की जावेगी। चयन के पश्चात् भी किसी भी समय किसी पत्र/प्रमाण पत्र या अन्य त्रुटि दोनों पक्षों से (किसी भी पक्ष की ओर से) पाये जाने की अवस्था में नियमानुसार सेवा से पृथक किये जाने की कार्यवाही की जावेगी।
- संविदा मानदेय :- संविदा सेवा अवधि के दौरान प्रतिमाह एक मुश्त मानदेय देय होगा, इसके अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार का भत्ता/सुविधा देय नहीं होगा।
- चयनित अभ्यर्थी को कार्य में उपस्थित होने के पश्चात् किसी भी समय एक माह का नोटिस देकर अथवा एक माह का वेतन जमा कर संविदा नियुक्ति समाप्त की जा सकती है। इसी प्रकार उक्त अभ्यर्थी को त्याग पत्र देने के पूर्व एक माह पहले सूचना देना होगा अन्यथा उनके द्वारा एक माह का वेतन जमा किया जाएगा।

- संविदा भर्ती के संदर्भ में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी आरक्षण नियम एवं समय-समय पर जारी अन्य निर्देश/आदेश/नियम यथा संशोधित लागू होंगे।
- विशेष आरक्षण अर्हता रखने वाले (विकलांग/भूतपूर्व सैनिक/महिला आरक्षण नियमानुसार होगी) अभ्यर्थियों को सक्षम अधिकारी द्वारा जारी उससे संबंधित दस्तावेज संलग्न किये जाने होंगे। अन्यथा ऐसे अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र में प्रमाण पत्र संलग्न न होने की स्थिति में सामान्य श्रेणी में सम्मिलित किया जावेगा।
- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के अभ्यर्थियों को सक्षम प्राधिकारी से जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- उक्त संविदा पद अस्थानांतरणीय होगा तथा नियुक्ति आदेशानुसार पदस्थापना स्थल में उपस्थिति देना अनिवार्य होगा। निर्धारित समय व पदस्थापना स्थल में अपनी उपस्थिति नहीं देने के स्थिति में चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति स्वतः निरस्त हो जायेगी।
- विज्ञापन में विज्ञापित पद अनुरूप निर्धारित अर्हताधारी अभ्यर्थी के ही आवेदन स्वीकार किये जावेंगे।
- आवेदित पद पर चयनित होने मात्र से नियुक्ति का अधिकार प्राप्त नहीं होगा। अंतिम रूप से नियुक्त रिक्त पदों की वास्तविक उपलब्धता तथा अन्य आवश्यक प्रक्रिया/मापदण्डों पर निर्भर करेगी।
- पदों की संख्या पदों की उपलब्धता के आधार पर परिवर्तनशील है। उक्त पद के लिये प्रवर्गवार प्रतीक्षा सूची भी जारी की जावेगी जिसकी वैधता जारी दिनांक से एक वर्ष तक अथवा नवीन भर्ती प्रक्रिया संपन्न होने, जो पहले हो, तक रहेगी। इस समयावधि में स्वीकृत नए पद/त्यागपत्र अथवा किसी भी कारण से रिक्त होने वाले पदों को भी इसी प्रतीक्षा सूची से भरा जा सकेगा। प्रतीक्षा सूची हेतु कुल स्वीकृत पद के 25 पदों तक 200 प्रतिशत, 25 से 50 पदों हेतु 150 प्रतिशत, 50 से अधिक पदों से 100 प्रतिशत अभ्यर्थियों को प्रतीक्षा सूची में रखा जावेगा, ताकि भविष्य में रिक्त होने वाले पद तत्काल भरे जा सकें।
- चयन प्रक्रिया के किसी भी चरण में यह पाया जाता है कि किसी उम्मीदवार द्वारा किसी भी प्रकार से किसी प्रकार का दबाव डलवाया जा रहा है या निष्पक्ष चयन प्रक्रिया को प्रभावित करने का प्रयास किया जा रहा है। तो उनका आवेदन पत्र अमान्य कर दिया जावेगा तथा इस संबंध में कोई भी दावा मान्य नहीं किया जावेगा।
- ऐसे अभ्यर्थी जिनकी सेवा अनुशासनहीनता/वित्तीय अनियमितता/अनुचित व्यवहार के कारण राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन या अन्य किसी भी शासकीय विभाग द्वारा समाप्त की गयी है चाहे वे किसी भी पद पर रहे हो उन्हें अपात्र उम्मीदवारों की श्रेणी में रखा जावेगा।
- भर्ती की प्रक्रिया के दौरान होने वाले किसी भी विवाद एवं समस्या पर अंतिम निर्णय लेने का सर्वाधिकार मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन छ0ग0 को होगा जो सभी आवेदकों को मान्य होगा।
- शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्था में कार्यरत अभ्यर्थियों को नियोक्ता द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। अनुभव अंक हेतु नियोक्ता द्वारा जारी हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र को ही मान्य किया जावेगा।


 मिशन संचालक
 राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
 छत्तीसगढ़